

पत्रांक- 3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II)- 1529 /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-11/02/2019

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन लाभ हेतु अर्हक सेवा को स्पष्ट करने के सम्बन्ध में।

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं पद्मनाभन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन, भत्ते एवं पेंशनादि का लाभ दिया जा रहा है।

2. संकल्प संख्या-14303, दिनांक-22/12/2010 द्वारा दिनांक- 02/09/2008 या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले न्यायिक पदाधिकारियों के लिए 33 वर्ष की अर्हक सेवा के बदले 20 वर्ष की सेवा पूर्ण पेंशन हेतु निर्धारित की गयी। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर अनुपातिक रूप में कम करके पेंशन अनुमान्य किया गया। इसमें दिनांक-01/01/2006 से दिनांक-01/09/2008 तक सेवानिवृत्त होने वाले के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा के आधार पर पूर्ण पेंशन एवं इससे कम सेवा होने पर आनुपातिक आधार पर पेंशन अनुमान्य किया गया। उक्त प्रावधान दिनांक-02/09/2008 से लागू किया गया।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संकल्प संख्या-14303, दिनांक-22/12/2010 की कंडिका-3(i) एवं 3(iii) में समेकित संशोधन संकल्प संख्या-11859, दिनांक-28/12/2011 के द्वारा पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्षों की अर्हक सेवा को दिनांक-01/01/2006 या उसके बाद सेवानिवृत्त होनेवाले के लिए, दिनांक-01/01/2006 से समाप्त करते हुए निम्नलिखित प्रावधान किया गया:-

“पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की अर्हक सेवा की शर्त को दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से समाप्त कर दिया जाय। दिनांक 01 जनवरी, 2006 के प्रभाव से अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारी का पेंशन पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त औसत परिलब्धियों पर अथवा अंतिम परिलब्धि इनमें से उसके लिए जो ज्यादा लाभकारी हो, के आधार पर 50 प्रतिशत पेंशन परिकलित किया जाय।”

4. उक्त संकल्प सं०-11859, दिनांक-28/12/2011 में दिनांक-01/01/2006 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक पदाधिकारियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए 20 वर्षों की अर्हक सेवा अनिवार्य रखा गया है तथा संकल्प संख्या-14303, दिनांक-22/12/2010 के द्वारा विहित अर्हक सेवा यथा स्थिति प्रभावी है, किन्तु इसमें इस आशय का उल्लेख नहीं रहने के कारण पेंशनर्स एवं महालेखाकार बिहार के कार्यालय के समक्ष संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे स्पष्ट कर देने की आवश्यकता महसूस की गई जा रही है।

5. इस हेतु सम्यक् विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है कि-

दिनांक-01/01/2006 एवं उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये निर्गत संकल्प संख्या-11859, दिनांक-28/12/2011 के प्रावधान के साथ यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्ण पेंशन के लिए संकल्प संख्या-14303, दिनांक-22/12/2010 के द्वारा विहित अर्हक सेवा के लिए 20 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप से पेंशन परिकलित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II) -1529/वि० पटना, दिनांक-11/02/2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II) -1529/वि० पटना, दिनांक-11/02/2019

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव,
बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-II) -1529/वि० पटना, दिनांक-11/02/2019

प्रतिलिपि- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।